BR>**Title:**Need to ensure proper maintenance and modernisation of canals of Chamba irrigated areas.

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : महोदय, सिंचित क्षेत्र विकास के लिए भारत सरकार राज्य सरकार तथा देश विदेश की विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त हो रही राशि का दूरदर्शितापूर्ण व्यय न होने के कारण क्षेत्रों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाने से जन समस्याओं में भारी बढ़ोतरी हो गई है। समयबद्ध तरीके से बारी के अनुसार कृषि भूमि की सिंचाई के लिए बाराबंदी प्रणाली से पानी पहुंचाने के नाम पर भारत सरकार से प्राप्त २ करोड़ ५० लाख रुपये व्यय करने के उपरान्त भी चम्बल सिंचित क्षेत्र में बाराबंदी लागू नहीं है। खत्म हो गई बाराबंदी प्रणाली प्रभावी रूप से लागू किया जाना आवश्यक है। इस समय मरम्मत एवं निर्माण कार्य घटिया स्तर के हो रहे हैं। नहरी क्षेत्र के अंतिम छोर के ग्रामों में विकास कार्यों की आवश्यकता अधिक है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की कृषि भूमि को सिंचित करने वाली चंबल की नहरों की जर्जर स्थिति हो जाने तथा अंतिम छोर के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए समय पर पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाने से हजारों बीघा में खड़ी फसलें प्रतिवर्ष बरबाद हो जाती हैं। तीन पानी से पकने वाली गेहूं की फसल को मात्र एक या दो पानी मिल पाता है। फिर भी पिलाई शुल्क पूरा लिया जाता है। जिस क्षेत्र में पूरा पानी नहीं पहुंच सके, उस भूमि की पिलाई राशि खारिज की जानी चाहिए। नहरों की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण से समस्या का समाधान हो सकता है। इस वर्ष टेल क्षेत्र के विभिन्न १०० ग्रामों की एक लाख बीघा कृषि भूमि में रेलवे का पानी नहीं पहुंचने से फसलें नहीं बोई जा सकी हैं तथा इन ग्रामों में भयंकर अकाल पड़ गया है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा चंबल सिंचित क्षेत्र विकास वाली नहरों का सही रख-रखाव एवं आधुनिकीकरण किया जाये तथा अंतिम छोर के ग्रामों में पानी पहुंचाया जाए।